FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

कालूराम बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट मु.नं.एवं सन 70/2026
समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
17.03.26	प्रार्थी का प्रार्थना समर्पित भूमि को राजस्व में रिकॉर्ड गै0मु0 रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर भूमि के उतर की तरफ दन्तौर पूगल सड़क के चिपती भूमि को रास्ते हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के तहत अराजीराज घोषित करवाया जा चुका है इसलिए उक्त भूमि के अराजीराज के किला नं0 22/3, 23/1 को गैरमुमकिन रास्ते के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रकरण धारा 251 ए आरटीएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार खाजूवाला के समर्पण आदेष क्रमांक 190 दिनांक 17.03.26 का अवलोकन किया गया। अवलोकनानुसार प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर भूमि का समर्पण किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त चक 6 पीआरएम मु0नं0 36/59 के किला नं0 22/3 में 0.1265 है0, 23/1 में 0.1391 है0 कुल 0.2656 हैक्टर समर्पण भूमि(अराजीराज) को राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक अमलदरामद करें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेष की प्रति तहरीर जारी कर भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलषुमार होकर दाखिलदफ्तर हो। आदेष आज 17.03.26 सरे इजलास सुनाया।	